

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ 1-ए/पीएमश्री वि०/2024 (E-File 21475-4782789) दिनांक: As in E-sign

विज्ञापित

राज्य में संचालित पीएमश्री विद्यालयों (पीएमश्री महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अतिरिक्त) में चयन हेतु निम्नांकित रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों/कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र. सं.	पदनाम व विषय	अनुमानित रिक्तियां	क्र. सं.	पदनाम व विषय	अनुमानित रिक्तियां
1	प्राचार्य	99	8	अध्यापक लेवल-1	243
2	उप प्राचार्य	267	9	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	75
3	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	1788	10	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	72
4	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)	1053	11	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक	139
5	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	67	12	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक	155
6	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	23	13	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	48
7	अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय)	255	14	प्रयोगशाला सहायक	48

आवेदन की शर्तें व दिशा-निर्देश :-

- आवेदन पत्र दिनांक 29.04.2026 से 30.04.2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाईन भरे जाएंगे।
- संबंधित पद व विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में व्यक्तिगत विवरण भरे जाने के साथ-साथ, पदस्थापन हेतु निम्नानुसार जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है :-

क्र.सं.	पदनाम व विषय	पदस्थापन हेतु जिले भरे जाने का विकल्प	पदस्थापन हेतु विद्यालयों के अधिकतम विकल्पों की संख्या
1	प्राचार्य/उप प्राचार्य/प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	दो जिले	05 विद्यालय
2	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)/ वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II/वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक /वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक	स्वयं के कार्यरत मण्डल के दो जिले	
3	अध्यापक, लेवल-2 (विभिन्न विषय)/अध्यापक, लेवल-1/ शारीरिक शिक्षा अध्यापक/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III/ प्रयोगशाला सहायक	स्वयं का कार्यरत जिला	

नोट:-अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय सहित), बालिका सैनिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई साक्षात्कार/विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयनोपरान्त पदस्थापित शिक्षक/कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।



3. आवेदनकर्ता कक्षा 10, कक्षा 12, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड./बीएसटीसी/ डीएलएड/ बीपीएड/डीपीएड/बीलिब/डीलिब/सीलिब (जो भी लागू हो) सभी परीक्षाएं 60 प्रतिशत एवं अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
4. ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
5. आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक/कार्मिक (वर्तमान में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा में ही कार्यरत) ही पात्र होंगे। अन्य विभाग/परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक/कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
6. विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार चयन/पदस्थापन किया जायेगा। पदों की संख्या को विभाग की आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकेगा।
7. शिक्षक/कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद व विषय के अनुसार ही किया जावे।
8. वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष के अन्तः मण्डल तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष के अन्तः जिला आवेदन ही स्वीकार्य होंगे।
9. राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के शिक्षकों/कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) के शिक्षकों/कार्मिकों के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा।
10. कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार पीएमश्री विद्यालय में उसी रिक्त पद पर 03 वर्ष के लिए किया जाएगा, जो आवश्यकता होने पर 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
11. जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित/प्रक्रियाधीन है अथवा जिन कार्मिकों को विभागीय जांच में दोषी पाये जाने के उपरान्त दण्डित किया गया है, ऐसे कार्मिकों के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
12. आवेदन करने हेतु शिक्षको/कार्मिकों का विभाग के राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार न्यूनतम अनुभव अनिवार्य है—

1. प्राचार्य:—

- प्राचार्य पद पर 05 वर्ष का अनुभव।
- संस्था प्रधान के रूप में विद्यालय का कक्षा-10 एवं कक्षा 12 का शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लगातार विगत 05 वर्षों का शत प्रतिशत वार्षिक परीक्षा परिणाम।

2. उप-प्राचार्य:—

- वर्तमान में उप-प्राचार्य पद पर कार्यरत
- व्याख्याता पद पर अध्यापन विषय का विगत 07 वर्षों का अनुभव एवं शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लगातार विगत 05 वर्षों का विद्यालय में संबंधित विषय का कक्षा-12 का शत प्रतिशत वार्षिक परीक्षा परिणाम

3. प्राध्यापक (विभिन्न विषय):—

- प्राध्यापक पद पर अध्यापन विषय का 05 वर्ष का अनुभव।
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लगातार विगत 05 वर्षों का विद्यालय में संबंधित विषय का कक्षा-12 का शत प्रतिशत वार्षिक परीक्षा परिणाम।

4. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय):—

- वरिष्ठ अध्यापक पद पर अध्यापन विषय का 05 वर्ष का अनुभव।
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लगातार विगत 05 वर्षों का विद्यालय में संबंधित विषय का कक्षा-10 का शत प्रतिशत वार्षिक परीक्षा परिणाम।

5. वरिष्ठ/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक:—

- राजकीय विद्यालयों में वरिष्ठ/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक पद पर लगातार कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव।

6. अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय):—

- अध्यापक लेवल-2 के पद पर अध्यापन विषय का 05 वर्ष का अनुभव।
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लगातार विगत 05 वर्षों का विद्यालय में संबंधित विषय का कक्षा-08 के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का ग्रेड 'ए' एवं 'बी' में वार्षिक परीक्षा परिणाम।

7. अध्यापक लेवल-1:-

- अध्यापक लेवल-1 के पद पर 05 वर्ष का अनुभव।
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लगातार विगत 05 वर्षों का विद्यालय का कक्षा-05 के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का ग्रेड 'ए' एवं 'बी' में वार्षिक परीक्षा परिणाम।

8. वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक/शारीरिक शिक्षा अध्यापक:-

- राजकीय विद्यालयों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक/शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर लगातार कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव।

9. पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II :-

- राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II के पद पर लगातार कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव।

10. पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III :-

- राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III के पद पर लगातार कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव।

11. वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला सहायक :-

- राजकीय विद्यालयों में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला सहायक के पद पर लगातार कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव।

नोट:-आवेदनकर्ता साक्षात्कार के समय ऑनलाइन भरे गए आवेदनपत्र की दो प्रतियां नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवा कर एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित की गई योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होंगे।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- 5- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 6- वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), शिक्षा संकुल, जयपुर।
- 7- पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर।
- 8- संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), कार्यालय हाजा।
- 9- **समस्त** संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्राशि. व प्राशि/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान।
- 10- उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
- 11- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 12- सहायक निदेशक, संस्थापन एबी, सी, महात्मा गांधी अनुभाग कार्यालय हाजा।
- 13- सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
- 14- रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर